कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकःसा0– 6048 /मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर, जून, 30, 2018।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय– जनपद मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 (वाराणसी–हनुमना सेक्शन) कि0मी0 संख्या 49.500 से कि0मी0 संख्या 140.200 तक के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित एवं 113.6300 हे0 संरक्षित कुल–131.0175 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों के पातन अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– **आपका पत्रांक**–5334/11–सी–FP/UP/ROAD/30569/2017 लखनऊ दिनांक 20.06.2018।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में उल्लिखित 10 बिन्दुओं की कमियों/ अभिलेखों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर को इस कार्यालय के पत्रांक– 5848/मीरजापुर/33 दिनांक 21.06.2018 द्वारा निर्देशित किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर ने अपने कार्यालय पत्रांक–5512/मीरजापुर/33 दिनांक 29.06.2018 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उल्लिखित कमियों/ अभिलेखों को पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रारूप (**tabular farmat**) में मय संशोधित प्रस्ताव सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है:–

Observ no	Observation	Reply
1	प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग–2 में (31–60) से0मी0 से अधिक व्यास वाले 5352 वृक्ष अपलोड किये गये है, जबकी संलग्न सूची में (31–60) से0मी0 से अधिक व्यास वाले वृक्षो की संख्या 5328 है, अतः संलग्न सूची के अनुसार ऑनलाइन भाग–2 में वृक्षो की संख्या अपलोड करें।	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या भाग–2 में (31–60)से0 मी0 से अधिक व्यास वाले 5352 वृक्ष अपलोड किये गये थे जबकी संलग्नक सूची में (31–60) स0मी0 से अधिक व्यास वाले वृक्षो की संख्या 5328 थी,जिसे प्रस्ताव में संलग्नक सूची के अनुसार आन लाइन भाग–2 में वृक्षो की संख्या अपलोड कर दिया गया है।
2	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में शुद्ध वर्तमान मुल्य की गणना दर प्रस्ताव में अंकित हरियाली धनत्व के अनुसार नही ली गयी है, अतः शंसोधित लागत लाभ विश्लेषण संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र हरियाली घनत्व के अनुसार संशोधित कर प्रस्तावक संस्था द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित GEO refferenced digital map संलग्न है, किन्तु शीर्षक पुर्ण रूप से अंकित नही किया गया है। तथा सभी GEO refferenced digital map आनलाइन भाग–2 में अपलोड नही है। अतः पूर्ण शीर्षक अंकित कर संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के समस्त GEO refferenced digital map पूर्ण शीर्षक अंकित करते हुये भाग–2 में अपलोड कर दिये गये है।
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन soi topo sheet संलग्न है। किन्तु शीर्षक त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। तथा सभी soi topo sheet ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड नही है। अतः पूर्ण शीर्षक अंकित कर संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 1:50,000 माप की रंगीन soi topo sheet में पुर्ण शीर्षक अंकित कर समस्त soi topo sheet भाग–2 में अपलोड कर दिये गये है।

5	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की बचनबद्धता संलग्न है, किन्तु बचनबद्धता में शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना की दर हरियाली धनत्व के अनुसार नही ली गयी है, अतः संशोधित बचनबद्धता संलग्न करते हुय ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।	प्रस्तावित वन भूमि का हरियाली घनत्व के अनुसार संशोधित शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा करने की बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अपलोड कर दिया गया है।
6	N P V जमा किये जाने की बचनबद्धता तथा N P V में बढोत्तरी के उपरान्त बढी हुयी धनराशि के भुगतान की बचनबद्धता संलग्न है। किन्तु बचनबद्धता में शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना की दर हरियाली धनत्व के अनुसार नही ली गयी है। अतः संशोधित बचनबद्धता संलग्न करते हुय ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।	प्रस्तावित वन भूमि का हरियाली धनत्व के अनुसार संशोधित N P V जमा करने की बचनबद्धता व N P V में बढोत्तरी के उपरान्त बढी हुयी धनराशि के भुगतान की बचनबद्धता संलग्न है।
7	ECO क्लास के अनुसार N P V की गणना संलग्न है किन्तु दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है अतः हरियरली धनत्व के अनुसार रू0 803000.00 की दर से N P V की गणना कर ऑनलाइन अपलोड करें।	निर्देशानुसार ECO क्लास के अनुसार 803000.00 रू प्रति हे0 की दर से N P V की गणना कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
8	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक 5 में उचित डाटा फीड नही किया गया है। अतः क्रमाक–5 में the area is covered under plantation working circle of the working plan फीड करें।	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक 5 में निर्देशानुसार the area is covered under plantation working circle of the working plan फीड कर दिया गया है।
9	प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक संख्या–18 पर संलग्न लीज अवधि प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भाग–2 व प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से लीज अवधि प्रमाण पत्र पृथक कर ऑनलाइन भाग–2 से भी पृथक कर लिया गया है।
10	उपरोक्त कमियों का निराकरण कर अभिलेखो को प्रस्ताव में संलग्न कर तथा पूर्व में आनलाइन अपलोड किये गये प्रस्ताओ को डिलीट कर संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करें।	निर्देशानुसार पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर अभिलेखो को प्रस्ताव में संलग्न कर पूर्व में आनलाइन अपलोड किये गये प्रस्ताओ को डिलीट कर संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रेषित उपरोक्त बिन्दु की आख्या मय संशोधित प्रस्ताव संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डा0 प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, को उनके पत्रांक–5512/मीरजापुर/33 दिनांक 29.06.2018 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर